

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष
 स्थान का नाम शाहपुरा बैच संख्या -02
 (विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987(कन्द्रीय अधिनियम)की धारा 19 के अधीन)
 (ताल्लुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी

① श्री देवीलाल पिता रामप्रताप कटार निवासी शाहपुरा
 जिला भीलवाड़ा वगैर

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

① श्री रामप्रताप पिता बालाग राम कटार निवासी शाहपुरा तहसील
 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

② राजू पिता रामप्रताप कटार निवासी शाहपुरा ③ तहसीलदार शाहपुरा

प्रकरण संख्या

वड पत्र 103/2016

उपस्थिति :-

न्यायिक अधिकारी का नाम : 1. श्री राजेश कुमार भीणा (ए.सी.जे.एम. शाहपुरा)

सदस्य का नाम : 2. श्री नारायण लाल जीनगर (तहसीलदार शाहपुरा)

दिनांक-12-03-2022

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों के मामले /विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

वारीगण के अपने दायित्वका हान, उपस्थित होकर पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने के कारण विज्ञापन की अनुमति न्यायिक वड पत्र विज्ञापन की अनुमति प्रदान की जाती है।

(Blank space for notes or additional text)

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय शुल्क यदि कोई उनमें से किसी द्वारा सदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

प्रकरण में समझौता हो गया इस कारण प्रकरण को डाउन
 डाउन की कार्यवाही नहीं करते हैं। प्रकरण विज्ञापन करते हैं।

श्री देवीलाल भीणा

अप्रार्थी पक्ष

प्राथी पक्ष
 श्री रामप्रताप कटार
 वड पत्र 103/2016

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच -द्वितीय
 (ताल्लुका विधिक सेवा समिति)
 शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज

सदस्य
 श्री नारायण लाल जीनगर
 राष्ट्रीय लोक अदालत बैच-द्वितीय
 ताल्लुका विधिक सेवा समिति)
 शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज